संख्या : 1577 / 9—आ—2—2001

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आवास आयुक्त,

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।

104—महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ।

आवास अनुभाग—2 दिनांक : 14—08—2002

विषय : उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम—1965 के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण की नई योजनाओं की विज्ञप्ति के प्रकाशन को प्रतिबन्धित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भूमि अध्याप्ति अधिनियम—1894 में महत्वपूर्ण संशोधन हो जाने के उपरान्त उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम में भूमि अधिग्रहण के लिए जो व्यवस्थायें की गयी हैं उसमें काफी विसंगतियां उत्पन्न हो गयी हैं, जिससे विभिन्न प्रकार की विधिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय समस्यायें शासन के समक्ष आ रही हैं एवं इस विषय में विभिन्न प्रकार के प्रत्यावेदन भी शासन में प्राप्त हो रहे हैं। उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम के भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी प्राविधानों को भूमि अध्याप्ति अधिनियम—1894 (यथासंशोधित) के अनुरूप ही संशोधित एवं परिवर्धित किया जाना आवश्यक एवं अपरिहणार्य हो गया है। अतः उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम—1965 में भूमि अधिग्रहण संबंधी व्यवस्थाओं को भूमि अव्याप्ति अधिनियम—1894 (यथासंशोधित) के अनुरूप जब तक अपेक्षित संशोधन नही हो जाता है, तब तक उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के द्वारा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम—1965 के अन्तर्गत किसी भी नई योजना हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित नहीं की जाय। यह निर्देश उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम—1965 की धारा—92 (2) के अन्तर्गत दिए जा रहे हैं।

2. कृपया उपरोक्त शासनादेश की प्राप्ति स्वीकार करते हुए उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम—1965 के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण संबंधी व्यवस्थाओं को भूमि अध्याप्ति अधिनियम—1894 (यथासंशोधित) के अनुरूप संशोधन का प्रस्ताव तत्काल शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि तद्नुसार अपेक्षित संशोधन की कार्यवाही तत्परता से की जा सके।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता

सचिव।